

प्रश्नकाल

प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आरंभ की गई महत्वाकांक्षी हिमकेयर योजना में सुधार और सहारा योजना को और मजबूत करेगी ताकि पात्र असहाय लोगों को इन योजनाओं का वास्तव में लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में चल रहे विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर और सहारा योजना को लेकर विधायक सुधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र सिंह गांधी, त्रिलोक जम्वाल और रणधीर शर्मा द्वारा पूछे गए मूल प्रश्न के जवाब में दखल देते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना में गड़बड़ियों, खासकर निजी अस्पतालों को पहुंचाए जा रहे लाभ की शिकायतों के बाद सरकार ने इस योजना में सुधार का निर्णय लिया है। इसी के तहत सरकार ने निजी अस्पतालों में हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा को वापस ले लिया है और कर्मचारियों को भी हिमकेयर योजना के तहत इलाज की सुविधा से बाहर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया पूर्व सरकार ने राज्य के एक सौ 37 निजी स्वास्थ्य संस्थानों को हिमकेयर योजना के तहत इलाज के लिए इंपैन्लड किया था ताकि उन्हें अधिक पैसा दिया जा सके। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमकेयर योजना की 3 सौ 55 करोड़ रुपए की देनदारियां अभी भी लंबित हैं। इनमें से एक सौ 27 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारियां निजी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं, जबकि 2 सौ 27 करोड़ रुपए सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हिमकेयर योजना के तहत आईजीएमसी, टांडा और पीजीआई के लिए 60 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर योजना में हुई गड़बड़ियों की कैबिनेट की सब कमेटी जांच कर रही है और सरकार इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गड़बड़ियां सिर्फ हिमकेयर योजना में ही नहीं, आयुष्मान भारत योजना में भी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सहारा योजना को और मजबूत करेगी और अपात्र लोगों को इससे बाहर किया जाएगा। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार आईजीएमसी और टांडा में बड़े पैमाने पर डाक्टरों और नर्सों की भर्तियां करने जा रही हैं। इसके तहत 2 सौ डॉक्टरों की भर्ती के लिए लोकसेवा आयोग को सिफारिश भी भेज दी गई है और नियमित भर्तियां होने तक इन दोनों संस्थानों में डॉक्टरों व नर्सों की आउटसोर्स आधार पर भर्तियां की जाएंगी।

नियम-62

प्रदेश में जल शक्ति विभाग में अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन से बाहर जाकर काम करने वाले अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज विधानसभा में विधायक पवन काजल द्वारा नियम 62 के तहत कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में पेयजल योजनाओं के कारण हो रही असुविधाओं को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के उत्तर में ये बात कही। उन्होंने

कहा कि विभाग के जिन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर डंगे लगाए हैं, सड़कें बनाई हैं और शमशान घाटों का निर्माण किया है, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि जरूरी हुआ तो इन कार्यों का पैसा संबंधित अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा। अग्निहोत्री ने विभाग के अधिकारियों द्वारा करवाए गए ऐसे सभी कार्यों का भुगतान रोकने की भी घोषणा की। उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कें बनाना, डंगे लगाना और शमशान घाट बनाना जलशक्ति विभाग का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि उठाऊ पेयजल योजना दौलतपुर जलाड़ी, समेला और सकोट के निरीक्षण के दौरान बह गए कनिष्ठ अभियंता के परिजनों को सभी नियमों में छूट देकर नौकरी दी जाएगी।

जयराम

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एकमुश्त 92 हजार 3 सौ मकान देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार जताया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा हिमाचल को दिया गया ये शानदार तोहफा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मोदी सरकार ने आपदा के मद्देनजर 17 हजार 5 सौ मकान दिए गए थे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश को 92 हजार से अधिक घरों का तोहफा दे रही है तो दूसरी तरफ प्रदेश की सुक्खू सरकार सीमेंट के दाम बढ़ाकर गरीबों के लिए घर बनाने के सपने को मुश्किल कर रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि एक सप्ताह में 2 बार सीमेंट के दाम में वृद्धि सुक्खू सरकार की नाकामी है और जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से सीमेंट के दामों में सौ रूपए से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है।
